उच्च कोटि की विवेचनाओं का विवरण

1– दिनांक 05–01–2006 को थाना बसन्तविहार जनपद देहरादून में श्री शरद थपलियाल शाखा प्रबन्धक ओरियन्टियल बैंक ने तीन अज्ञात व्यक्तियों के विरूद्ध हथियारों के बल पर बैंक से कुल 2,43,355 रू0 लूटने की सूचना दर्ज कराई। इस सूचना पर मु0अ0सं0 03/2006 धारा 392 भा0दं0वि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया। विवेचना के मध्य सार्थक प्रयासों के बाद अभियुक्त अमर सिंह राणा, मोहित व राजवीर सिंह प्रकाश में आये जिनमें से अभियुक्त राजवीर सिंह को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 23,000/– नगद, एक तमंचा तथा दो जिन्दा कारतूस व घटना में प्रयुक्त काले रंग की पल्सर मोटर साईकिल बरामद की तथा अभियुक्त अमर सिंह व मोहित दिनांक 07–03–2006 को पुलिस मुठभेड़ में मारे गये। अभियोग में विवेचनापरान्त पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर आरोपपत्र न्यायालय प्रेषित किया गया।

3– दिनांक 20–01–2006 को वादी श्री शाबिर निवासी पठानपुरा थाना रूड़की ने थाना रूड़की जनपद हरिद्वार पर सूचना अंकित कराई कि अज्ञात अभियुक्तों द्वारा उसके भान्जे के लड़के मेहरान उम्र 10 वर्ष का अपहरण कर लिया है। इस सूचना पर मु0अ0सं0 25/2006 धारा 364 ए भादवि. का अभियोग पंजीकृत होकर विवेचना के दौरान अपहृत मेहरान को दिनांक 21–01–2006 को एक साहसिक पुलिस मुठभेड़ के पश्चात अपराधियों के चंगुल से मुक्त करा लिया गया है। उक्त मुठभेड़ में एक बदमाश मारा गया जिसकी शिनाख्त सईद पुत्र रशीद निवासी रहमतपुर थाना रूड़की के रूप में हुयी है। घटना में संलिप्त रहे अभियुक्त दिलशाद पुत्र असगर निवासी रहमदपुर थाना रूड़की तथा अभियुक्त अय्यूव निवासी मेवड़ नांगल थाना भगवानपुर हरिद्वार को गिरफ्तार का जेल भेजा गया एवं अभियोग में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

3– दिनांक 29–01–2006 को वादी श्रीमती बबली देवी निवासी चमनपुरी ने थाना पटेलनगर जनपद देहरादून में सूचना अंकित कराई कि एक मोटर साईकिल में दो लड़कों के बीच में एक बोरा रखा था वह गिरा व चिल्लाने पर उन्होने बोरा उठाया और मोटर साईकिल पर इन्द्रेश अस्पताल की ओर भाग गये। दोनो व्यक्ति बोरे में रखी लाश को बोरे सहित इन्देश अस्पताल के पास फेंक गये। इस सूचना पर मु0अ0सं0 22/2006 धारा 302/201 भादवि. का अभियोग पंजीकृत किया गया। विवेचना से मृतक की शिनाख्त तुलसी पुत्र गिरधारी निवासी गोबिन्दगढ़ के रूप में हुयी। अभियुक्तों की पतारसी सुरागरसी कर अभियुक्त अरविन्द उर्फ नैनी, राहुल, सुधीर, राजकुमार पुत्र तुलसी व राजकुमार पुत्र घनश्याम प्रकाश में आये को गिरफ्तार कर अभियोग में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

4– दिनांक 15–02–2006 को जनपद बागेश्वर के थाना बागेश्वर में वादी श्री दीवान सिंह तड़ागी अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद बागेश्वर द्वारा सूचना दी गई कि कुन्दन नारायण दास द्वारा नगरपालिका अध्यक्ष श्री रमेश लाल जौहरी की नगरपालिका कार्यालय में चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी है। सूचना पर मु0अ0सं0 80/2006 धारा 302 भादवि. का अभियोग पंजीकृत होकर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया तथा पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त को मृत्यु दण्ड व 10,000/– का जुर्माने से दण्डित किया गया है।

5– दिनांक 06–03–2006 को जनपद ऊधमसिहनगर के थाना काशीपुर क्षेत्र में बलकार सिंह नि0 वॉसखेडत्रा के खेत के पास गडढे में एक अज्ञात महिला का गला कटा शव बरामद हुआ। इस पर थाना काशीपुर पर मु0अ0स0 1356/2006 धारा 302/201 भादवि का अभियोग पंजीकृत करा कर विवेचना की गई। मृतका की फोटो समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया गया जिस पर मृतका की शिनाख्त सुबरा निवासी लक्ष्मीपुर के रूप में हुई। विवेचना से अभियुक्त राजू निवासी लक्ष्मीपुर के मृतका से अवैध सम्बन्ध होने की बात प्रकाश में आई। दिनांक 21–05–2006 को प्रर्याप्त साक्ष्य के आधार पर राजू को गिरफ्तार कर आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

6– दिनांक 01–04–2006 को वादी श्री पी0के0 सैन डायरेक्टर, *Ÿ*ण्ड ;प्दकपंद्ध ने थाना कालागढ़ जनपद पौड़ी पर सूचना अंकित कराई कि मै अपनी टीम विश्व प्रकृति निधि भारत एवं दूसरे देश जिनमें इंगलैण्ड से जैनीफर हैडली, अमेरिका से जैन भर्टीफुले, नीदलैण्ड से गैरिट पोलेट और इनाबेकर, काठमॉडू से कृष्टि विलियम्स, दिल्ली भारत से अमीर उस्मानी और कोटद्वार कार्यालय से रितेश कुमार के अलावा दो ड्राईवर के साथ कोटद्वार से कालागढ़ होते हुये रामनगर जा रहा था तो रास्ते में करीब 6–7 हथियारबन्द बदमाशों द्वारा तमन्चे के बल पर गाड़ियों को रोककर गाड़ियों में रखा नगदी व सामान कीमती लगभग 9,20,000/– लूट ली। इस सूचना पर मु0अ0स0 18/2006 धारा 395/397 भादवि पंजीकृत हुआ। घटना मे सार्थक प्रयासों के बाद विवेचना के मध्य 09 अभियुक्त प्रकाश में आए जिनमें से सात अभियुक्त गिरफ्तार किए गये 01 विवेचना से गलत पाया गया एवं 01 की कुर्की की कार्यवाही की गयी। अभियोग में 1,86,000 रू0 की सम्पत्ति बरामद करने में सफलता प्राप्त की गई एवं आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया।

7– दिनांक 07–05–2006 को जनपद नैनीताल के थाना भवाली क्षेत्र मे एक अज्ञात महिला अधजली दशा में पाई गई। इस महिला ने मरने से पूर्व केवल तीन शब्द मुकेश, कटोराताल व काशीपुर बोले। इन शब्दों के आधार पर काशीपुर के तालकटोरा मोहल्ले मे मुकेश के बारे में छानबीन की गई तथा समाचार पत्रों में मृतका की फोटों प्रकशित की गई जिसके फलस्वरूप महिला की शिनाख्त हुई। इस प्रकरण में मृतका का पति मुकेश (ड्राइवर) ही मुख्य अभियुक्त था जिसने अमीर घर की लड़की से अवैध सम्बन्ध होने के कारण इस घटना को अंजाम दिया। विवेचना के मध्य छोटे–छोटे महत्वपूर्ण साक्ष्य संकलित कर अभियोग का अनावरण किया गया। घटना मे संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया।

8– दिनांक 14–05–2006 को वादी श्री विजय धीगरा निवासी फरीदाबाद हरियाणा ने थाना पंतनगर पर अपने भाई श्यामसुन्दर घींगरा का अज्ञात बदमाशों द्वारा अपहरण करने एवं उनकी मांग पर अपर्हताओं को 15 लाख रू0 की फिरोती दिये जाने के बाबजूद न छोड़े जाने के सम्बन्ध में मु0अ0स0 642/2006 धारा 364ए का अभियोग पंजीकृत कराया। विवेचना से इलोक्ट्रानिक सरविलास मे माघ्यम से घटना का अनावरण किया गया। तथा घटना में सलिप्त अभियुक्त फूल सिह व राजपाल को अपह्ता श्यामसुन्दर घींगरा के शव को जमीन मे गढा खोद कर दवाते समय एक मुठभेड़ के दौरान मार गिराया गया। अभियोग में धारा 302/201 भादवि की बढ़ोत्तरी की गई। अभियोग से सम्बन्धित अभियुक्तों की मुठभेड में मृत्यु होने पर विवेचना अन्तिम रिर्पोट प्रेषित कर समाप्त की गयी।

9– दिनांक 04–06–2006 को वादी श्री सिद्धार्थ निवासी सहारनपुर ने थाना मुनिकीरेती पर उसके मुनीम रामप्रकाश व चालक प्रवेश कुमार से एक टाटा इन्डिका कार में सवार सवार अज्ञात बदमाशों द्वारा तंमचे के बल पर उनकी वेगनआर गाड़ी, 20 किलों चादी, 5 लाख रूपये कुल सम्पत्ति 11,50,000 रू0 लूटने की रिपोर्ट दर्ज कराई जिस पर मु0अ0स0 850–2006 धारा 394/395 भादवि का अभियोग पंजीकृत हुआ। विवेचना के मध्य सात अभियुक्त प्रकाश में आए जिनमें से चार अभियुक्त गिरफ्तार किए गये जिनसे लूटी गई सम्पत्ति में से लूटी गई बेगनआर कार, 1100 ग्राम चॉदी व 1,77,000/–रू0 नगद बरामद किया गया। आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया।

10– दिनांक 18–06–2006 को वादी श्री विकास कुमार निवासी मयूर विहार दिल्ली ने थाना रूड़की जनपद हरिद्वार में सूचना अंकित कराई कि तीन अज्ञात बदमाशों ने उसके पिता श्री राधेश्याम शर्मा अधीक्षण अभियन्ता सिंचाई विभाग की उनके रूड़की स्थित आवास पर तीन अज्ञात लड़कों ने गोली मार कर हत्या कर दी। इस सूचना पर मु0अ0सं0 182/2006 धारा 302 भादवि. का अभियोग पंजीकृत किया गया। सार्थक प्रयासों के बाद विवेचना के मध्य एस0ओ0जी0 हरिद्वार एवं एस0टी0एफ0 हरिद्वार की संयुक्त टीम द्वारा चार अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से हत्या की घटना में प्रयुक्त मोटर साईकिल, दो मोबाईल फोन, हत्या में प्रयुक्त तमंचा व 4 कारतूस जिन्दा बरामद किये गये। यह हत्या मृतक के विभाग के ही अभियन्ता हरपाल सिंह द्वारा विभागीय प्रतिर्स्पद्धा को लेकर सुपारी दे कर कराई जानी ज्ञात हुई।

11– दिनांक 04–08–2006 को जनपद देहरादून के थाना ऋषिकेश पर वादी श्री शिव प्रसाद ने सूचना अंकित कराई कि एक व्यक्ति की सिरकटी लाश पड़ी हुयी है। इस सूचना पर मु0अ0सं0 343/2006 धारा 302/201 भादवि. का अभियोग पंजीकृत होकर पुलिस द्वारा अथक प्रयास कर सिर कटी लाश की शिनाख्त दीपक बडोनी निवासी ढालवाला ऋशिकेश के रूप में हुयी । विवेचना से अभियुक्त विकास कठैत व कौशल त्यागी को गिरफ्तार कर अभियोग में आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया। जमीन के एग्रीमैन्ट व पैसे के लेन देन के कारण उक्त हत्या की जानी ज्ञात हुई।

12– दिनांक 05–10–2006 को वादी श्री अमरदीप निवासी भावला, सरका घाट जिलामण्डी हिमाचंल प्रदेश ने थाना डालनवाला जनपद देहरादून में सूचना अंकित कराई कि उसकी पुत्री कु0 रंगोली व उसकी सहेली को अज्ञात अभियुक्त द्वारा तेजाब डालकर घायल किया गया। इस सूचना पर मु0अ0सं0 315/2006 धारा 326 भादवि. का अभियोग पंजीकृत हुआ। विवेचना के दौरान ज्ञात हुआ कि सरका घाट में रंगोली के बीएससी की पढ़ाई के दौरान अविनाश शर्मा निवासी ग्राम दमशेड़ा , जिला मण्डी जो साथ पढ़ता था से, प्रेम सम्बन्ध थे। यह बात भी प्रकाश में आई थी कि अविनाश व रंगोली शादी करना चाहते थे परन्तु रंगोली के परिवारजनों को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। इसके बाद वीएससी करने रंगोली देहरादून में अध्यन्नरत थी। इस बीच भी रंगोली एवं अविनाश का आपसी मिलना–जुलना था। माह अगस्त में रंगोली की सगाई अन्यत्र किये जाने से अविनाश ने यह कहा था कि रंगोली यदि मेरी नहीं होगी तो मैं किसी और की भी नहीं होने दूँगा। पुलिस द्वारा इस आधार पर विवेचना के दौरान संकलित साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त अविनाश उपरोक्त व उसके साथी प्रेम सिंह पुत्र फकीर चन्द्र निवासी मल्लीकोट उधमपुर को गिरफ्तार किया गया। आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया।